कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 10 (10)89/ जॉच प्रमुवसं/ 584-708 दिनांकः- 13/2/12

परिपत्र

समस्त सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक,/भू संरक्षण अधिकारी/
उप मुख्य वन्य जीव प्रति पालक

विषयः- अनुशासनिक कार्यवाही में राजकीय राशि की वसूली के संबंध में ।

संदर्भः- इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.11( )2001/जॉच/प्रमुवसं/930 दिनांक 28.3.2001 एवं सम संख्यक क्रमांक 5219 दिनांक 29.8.2005

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से समस्त वनाधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अधीनस्थ लोकसेवकों जिनके वे नियुक्ति अधिकारी नही है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त यदि राजकीय वसूली का निष्कर्ष निकलता हो तो उसकी वसूली हेतु प्रकरण निष्कर्षात्मक टिप्पणी के साथ निर्णय हेतु इस कार्यालय को भिजवाएगें, परन्तु अभी भी कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि वनाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोकसेवकों के विरूद्ध जिनके वे नियुक्ति अधिकारी नही है, अनुशासनिक कार्यवाही कर राज्य सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली के आदेश जारी कर दिये जाते है। ऐसे प्रकरणों के विरूद्ध अपील करने पर संबंधित लोकसेवक को वैधानिक त्रुटि का लाभ मिलने की सम्भावना बनी रहती है।

यह भी विशेष ध्यान रखा जावे कि ऐसे लोकसेवक जो कि शीध्र ही सेवानिवृत होने वाले हो उनके प्रकरण सेवानिवृत्ति से पर्याप्त समय पूर्व निर्णय हेतु भिजवाए जावे क्योकि सेवानिवृत्त लोक सेवकों के संदर्भ में आर्थिक हानि से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही हेतु राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेन्शन) नियम, 1996 के नियम 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना पूर्व निर्धारित शर्त है।

अतः समस्त वनाधिकारियों को इस परिपत्र के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि जिस संवर्ग/पद के वे नियुक्ति अधिकारी नही है ऐसे संवर्ग/पद के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के उपरान्त यदि राजकीय वसूली का निष्कर्ष निकलता हो तो उसकी वसूली हेतु प्रकरण निष्कर्षात्मक टिप्पणी के साथ संबधित लोकसेवक की सेवानिवृत्ति से पर्याप्त समय पूर्व इस कार्यालय को निर्णय हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 10 (10)89/ जॉच प्रमुवसं/709-738 दिनांकः-13/2/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।

मुख्य वन संरक्षक,(मुख्यालय)
राजस्थान जयपुर